



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक  
National Bank for Agriculture and Rural Development

प्रधान कार्यालय : प्लॉट सं.सी-24, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, पो.बॉ.सं.8121  
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051. वेबसाइट : www.nabard.org  
Head Office : Plot No. C-24, G Block, Bandra-Kurla Complex, P.B. No.- 8121,  
Bandra (E) Mumbai 400051. Website : www.nabard.org

30 जून 2009 को समाप्त तिमाही के लिये अनंतिम अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम  
Provisional Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2009  
(लाख रु. में Rs. in lakh)

क्रम सं. Sr. No.	व्यौरे Particulars	30 जून 2009 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30 June 2009 अलेखापरीक्षित Unaudited	30 जून 2008 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30 June 2008 अलेखापरीक्षित Unaudited	31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31 March 2009 लेखापरीक्षित Audited
1	<b>परिचालनों से निवल आय</b> <b>Net Income from Operations</b>			
	क) ऋण और अग्रिमों से निवल आय a) Net Income from Loans & Advances	163524.24	127894.00	561908.60
	ख) निवेशों से निवल आय b) Net Income from Investment	33049.13	27379.59	128872.05
2	अन्य आय Other Income	1113.10	1117.89	5029.52
3	<b>कुल व्यय</b> <b>Total Expenditure :</b>			
	क) ब्याज व्यय a) Interest Expenses	125194.74	100718.84	425590.25
	ख) स्टाफ लागत b) Staff Cost	13237.42	9997.14	51819.89
	ग) अन्य व्यय c) Other Expenditure	3708.47	2819.57	17510.50
4	मूल्यहास Depreciation	534.11	540.71	2136.42
5	<b>कराधान से पूर्व सकल अधिशेष (1+2-3-4)</b> <b>Gross Surplus before Taxation (1+2-3-4)</b>	<b>55011.73</b>	<b>42315.22</b>	<b>198753.11</b>
6	कराधान के लिये प्रावधान Provision for Taxation	18200.00	14600.00	59740.00
7	<b>कराधान के बाद अधिशेष (5-6)</b> <b>Surplus after Taxation (5-6)</b>	<b>36811.73</b>	<b>27715.22</b>	<b>139013.11</b>
8	निम्नलिखित में अंशदान Contribution to :			
	क) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां a) National Rural Credit Funds #	0.00	0.00	41000.00
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii)के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियाँ b) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of IT Act, 1961 #	8500.00	8000.00	34000.00

9	अंशदान के बाद अधिशेष <b>Surplus after contributions</b>	28311.73	19715.22	68827.92
10	चुकता पूँजी Paid-up Capital	200000.00	200000.00	200000.00
11	प्रारक्षित निधियाँ(पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों को छोड़कर) Reserves (excluding revaluation reserve)			
	क) सामान्य प्रारक्षित निधियाँ a) General Reserve	--	--	522334.03
	ख) अन्य प्रारक्षित निधियाँ b) Other Reserves	--	--	431186.57
	ग) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ c) National Rural Credit Funds	--	--	1557100.00
12	गैर प्रवर्तकों की सकल धारित राशि (प्रतिशत में) Aggregate Non Promoters holding (in percentage)	0.00%	0.00%	0.00%

# इन निधियों पर कोई भी बाहरी दायित्व बाध्यता नहीं है. राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियों में अंशदान पर वर्ष के अंत में विचार किया जाता है.

There is no external obligations on these Funds. Contribution to National Rural Credit Funds is considered as at the year end.

**टिप्पणियाँ Notes:**

- उक्त वित्तीय परिणाम 23 जुलाई 2009 को नई दिल्ली में आयोजित निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति की बैठक में रिकार्ड पर लिये गये थे और ये बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन है.  
The above financial results were taken on record by the Executive Committee of the Board of Directors at its meeting held on July 23, 2009 at New Delhi and have been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors of the Bank.
- परिसम्पत्तियों के लिये प्रावधानों की गणना के पश्चात् परिचालनों से निवल आय रिपोर्ट की जाती है.  
Net income from operations is reported after accounting for provision for assets.
- जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ी है, वहाँ पिछली अवधि/अवधियों के आँकड़ों को पुनः समूहित/व्यवस्थित किया गया है.  
Previous period/s figures have been regrouped/ rearranged wherever necessary.
- बैंक द्वारा अनुसरण की जा रही समनुरूप प्रथा के अनुरूप आस्थगित करों का व्यवहार/प्रगटन, घटकों की सूचना और समेकित वित्तीय परिणाम वर्ष के अंत में तैयार किये जायेंगे/अंत में कार्रवाई की जायेगी.  
As per consistent practice followed by the Bank, the treatment / disclosure of Deferred Tax, Segment Reporting and Consolidated Financial results shall be dealt with / made at the year end.
- उपदान, मूल्यहास, अप्रयुक्त निधियों पर देय ब्याज, अध्ययन और प्रशिक्षण इत्यादि के लिये व्ययों / प्रावधानों की गणना 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षित आँकड़ों के आधार पर आनुपातिक रूप से की गई है. इससे अंतरिम परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा.  
The Expenses / Provisions on account of Gratuity, Depreciation, Interest payable on Unutilised Funds, Study & Training, etc. have been proportionately accounted based on Audited figure for the year ended March 31, 2009, impact whereof would not be material on interim results.

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : जुलाई 23, 2009

उमेश चंद्र सरंगी  
अध्यक्ष